अधिसूचना संख्या 17/2015 [फा. सं. 203/06/2014/आईटीए-II], दिनांक 17-2-2015

सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वैज्ञानिक और नवप्रवर्तन अनुसंधान अकादमी (एसीएसआईआर), नई दिल्ली (पैन-एएएलए1352पी) को आयकर अधिनियम, 1961 (उक्त अधिनियम) की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के प्रयोजन के लिए, आयकर नियम, 1962 (उक्त नियम) के नियम 5सी और 5ई के साथ पठित, कर निर्धारण वर्ष 2015-2016 और उसके बाद के लिए अनुसंधान गतिविधियों में लगे "विश्वविद्यालय महाविद्यालय और अन्य संस्थान" की श्रेणी में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमोदित किया गया है, अर्थात्:-

(i) अनुमोदित संगठन को भुगतान की गई राशि का उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जाएगा;

(ii) अनुमोदित संगठन अपने संकाय सदस्यों या अपने नामांकित छात्रों के माध्यम से वैज्ञानिक अनुसंधान करेगा;

(iii) अनुमोदित संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त राशियों के संबंध में अलग-अलग लेखा पुस्तकें बनाए रखेगा, उनमें अनुसंधान करने के लिए उपयोग की गई राशियों को दर्शाएगा, उक्त अधिनियम की धारा 288 की उप-धारा (2) के स्पष्टीकरण में परिभाषित लेखाकार द्वारा ऐसी पुस्तकों का लेखा-परीक्षण कराएगा और ऐसे लेखाकार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और सत्यापित ऐसी लेखा-परीक्षण रिपोर्ट, उक्त अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के अंतर्गत आयकर विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि तक, मामले पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले आयकर आयुक्त या आयकर निदेशक को प्रस्तुत करेगा;

(iv) अनुमोदित संगठन प्राप्त दान और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रयुक्त राशियों का एक अलग विवरण बनाए रखेगा और लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत प्रमाणित ऐसे विवरण की एक प्रति ऊपर उल्लिखित लेखा-परीक्षण रिपोर्ट के साथ संलग्न करेगा।

2. केंद्र सरकार अनुमोदन वापस ले लेगी यदि अनुमोदित संगठन: -

(क) पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (iii) में निर्दिष्ट अनुसार अलग-अलग लेखा पुस्तकें बनाए रखने में विफल रहता है; या

(ख) पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (iii) में निर्दिष्ट अनुसार अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है; या

(ग) पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (iv) में निर्दिष्ट अनुसार प्राप्त दान और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए लागू राशि का विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहता है; या

(घ) अपनी अनुसंधान गतिविधियों को जारी रखना बंद कर देता है या उसकी अनुसंधान गतिविधियाँ वास्तविक नहीं पाई जाती हैं; या

(ङ) उक्त नियमों के नियम 5सी और 5ई के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (ii) के प्रावधानों के अनुरूप और उनका अनुपालन करना बंद कर देता है।